

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)


शंकर

बनाम

शुक्ला प्रिया

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

144/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.4.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शंकर शंजी</u></p> <p>पिता श्री <u>गोपी जी शंजी</u></p> <p>निवासी- <u>पारलिमा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पारलिमा</u> <u>प.ड. देवरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>213, 222, 227, 433, 436, 519/442</u></p> <p>कुल कीता <u>06</u> कुल रकबा <u>1.61</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पारलिमा (देवरी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>213, 222, 227, 433, 436, 519/442</u></p> <p>कुल कीता <u>06</u> रकबा <u>1.61</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बि.सू.ए.व.ल.) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>